न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 558/2023
अनवान : –

1. वीरपाल पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. प्रतापसिंह उर्फ प्रताप पुत्र राजाराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
2. सुमन पुत्री प्रतापसिंह जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. मंजू पुत्री प्रतापसिंह जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. निर्मला पुत्री प्रतापसिं जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. शाखा प्रबन्धक आई.सी.आई.सी.आई. बैंक जसाना तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 13/10/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 12 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 60/53 के कुल खसरे 21 का कुल क्षेत्रफल 4.5540 है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 13 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 79/79 के कुल खसरे 18 का कुल क्षेत्रफल 3.7950 है0 में से 4/15 हिस्सा भूमि एव रोही मौजा 6 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 463/269 के कुल खसरे 41 का कुल क्षेत्रफल 9.0330 है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि व खाता संख्या 16/10 के कुल खसरे 35 का कुल क्षेत्रफल 8.8550 है0 भूमि में से 1/7 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण से प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उपरोक्त भूमि में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 प्रतिवादी संख्या 1 के साथ ब0 हि0 ब0 हक हिस्सा है। प्रतिवादीया संख्या 2 ता 4 जो कि वादी की बहिन है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपने पिता व भाईयों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है बाद हक त्याग मुताबिक पारिवारिक समझौता रोही मौजा 12 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 60/53 के कुल खसरे 21 का कुल क्षेत्रफल 4.5540 है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 13 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:03:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 79/79 के कुल खसरे 18 का कुल क्षेत्रफल 3.7950 है0 में से 4/15 हिस्सा भूमि व 6 बारानी के खाता संख्या 16/10 के कुल खसरे 35 का कुल क्षेत्रफल 8.8550 है0 भूमि में से 1/7 हिस्सा भूमि में वादी अकेला काबिज है एवं रोही मौजा 6 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 463/269 के कुल खसरे 41 का कुल क्षेत्रफल 9.0330 है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 यथावत काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 4 ने जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को काई एतराज नही है। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य पुरानी व नयी जमाबंदी व तस्दीक सदस्य प्रमाण पत्र आदि पेश किये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता के नाम दर्ज है उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा है। प्रतिवादीया स0 2 ता 4 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्य हकों सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:03:41 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस [illegible] किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद [illegible] 12 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 6[illegible]53 के कुल खसरे 21 का कुल क्षेत्रफल 4.

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

5540 हे0 भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 13 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 79/79 के कुल खसरे 18 का कुल क्षेत्रफल 3.7950 हे0 में से 4/15 हिस्सा भूमि एव रोही मौजा 6 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 463/269 के कुल खसरे 41 का कुल क्षेत्रफल 9.0330 हे0 भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि व खाता संख्या 16/10 के कुल खसरे 35 का कुल क्षेत्रफल 8.8550 हे0 भूमि में से 1/7 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से स्पष्ट साबित है कि उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं तस्दीकशुदा सदस्य प्रमाण पत्र के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 12 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 60/53 के कुल खसरे 21 का कुल क्षेत्रफल 4.5540 हे0 भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 13 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 79/79 के कुल खसरे 18 का कुल क्षेत्रफल 3.7950 हे0 में से 4/15 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा 6 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या खाता संख्या 16/10 के कुल खसरे 35 का कुल क्षेत्रफल 8.8550 हे0 भूमि में से 1/7 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा 6 बारानी के खाता संख्या 463/269 के कुल खसरे 41 का कुल क्षेत्रफल 9.0330 हे0 भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13/10/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:03:41 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 558 / 2023
अनवान : –

1. वीरपाल पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. प्रतापसिंह उर्फ प्रताप पुत्र राजाराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
2. सुमन पुत्री प्रतापसिंह जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. मंजू पुत्री प्रतापसिंह जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. निर्मला पुत्री प्रतापसिं जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. शाखा प्रबन्धक आई.सी.आई.सी.आई. बैंक जसाना तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 558 सन 2023 निर्णय दिनांक 13/10/2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वाद मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 12 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 60 / 53 के कुल खसरे 21 का कुल क्षेत्रफल 4.5540 है0 भूमि में से 1 / 3 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 13 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 79 / 79 के कुल खसरे 18 का कुल क्षेत्रफल 3.7950 है0 में से 4 / 15 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा 6 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या खाता संख्या 16 / 10 के कुल खसरे 35 का कुल क्षेत्रफल 8.8550 है0 भूमि में से 1 / 7 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा 6 बारानी के खाता संख्या 463 / 269 के कुल खसरे 41 का कुल क्षेत्रफल 9.0330 है0 भूमि में से 1 / 3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 / – रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 13/10/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:03:41 IST
Reason: SelfAttested